

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 11/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

शैलेन्द्र गोदारा पुत्र श्री सेजाराम गोदारा जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।
2. शैलेन्द्र पुत्र सेजाराम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेन्द्र पुत्र सेजाराम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सुरेन्द्रकुमार हुड्डा वकील-वादी
पैरोकार राज-प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक- 24-07-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार हुड्डा वकील वादी व पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 5 जेड.डब्ल्यू.डी. के खाता सख्या 31/33 के प.नं. 114/385 (20) के कि.नं. 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कि 2.1380है0 प.नं. 114/387 (28) के किला नं. 24, 25/1, 25/2 की 0.506 है0 व पं. नं. 114/388 (31) के किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 कि 2.5300 है0 व पं.नं. 115/384 (15) के किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 कि 1.0120है0 इस प्रकार कुल- 6.1860 है. मे से 1/3 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम सुरेन्द्र पुत्र सेजाराम तथा चक 6 एस.पी.डी.(बी) के खाता सख्या 24/22 के पं.नं. 110/387 (14) के किला नं. 14, 17, 22/2, 23, 24 कि कुल 1.1380है0 मे से 1/3 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम शैलेन्द्र पुत्र सेजाराम के स्थान पर शैलेन्द्र गोदारा पुत्र सेजाराम गोदारा दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24-07-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
सहायक उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

